

फर्द आह्वान

नियम-26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) गादरा मुकाम गादरा

राचिन

बनाम

निर्मला आदि

किस्म मुकदमा :- 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर :-

43/23

तारीख हुम	हुम या कार्यवाही गय इन्शियल जज	नम्बर व तारीख फर्द आह्वान की हुम की सापील जारी हुआ
-----------	--------------------------------	--

5.06.2023

आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण /प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवादित भूमि रोही मौजा चक 1 एम आर एन के खाता संख्या 52/49 के मु.न. 39 के कि.न. 1 व 9 ता 12, 19 ता 22 कुल किता 9, मु. न. 40 के कि.न. 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 25/1, 25/2 कुल किता 10, मु.न. 51 के कि.न. 5/1, 5/2, 6 कुल किता 3, मु.न. 52 के कि.न. 1, 2, 9 ता 12 कुल किता 6, कुल खसर 28 की 5.4910 है. जिसमें 5.3410 है. नहरी कृषि भूमि व 0.1500 है. गै. मु. खाला भूमि में रिकार्ड व मौका की यथारिथति बनाये रखे। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाफ्कोस कार्य DILRMP कार्य पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी वकील प्रार्थी तामिल हेतु सात दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असातन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.07.2023 को पेश हो।

(Handwritten signature)

18/7/23

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपरो अस्थाई मु 2 की अर्ज से वकील अप्रार्थी ने जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किस्म पत्रावली वास्तु रतली शेख किस्म 22/8/23 को पेश हो।

2/08/23

पत्रावली पेश हुई। व मुलायम करिफेन उपरो पत्रावली वास्तु लाली शेख अस्थाई किस्म 22/09/23 को पेश हो।

27/09/23

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 10/10/23 को पेश हो।



10/23

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... दिनांक 12/11/23 को पेश हो।

12-5/25 पत्रावली पेडा हुई कुमुलाए 410/250
पत्रावली वास्ते लवावी व जवाब दिनांक 20/1/25 को पेश हो @

6/3 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते दिनांक 18/7/25 को पेश हो।

8/2/25 पत्रावली पेडा हुई पीठासीन
अधिवक्ता दिनांक 11/8/25 को पेश हो।

8/21 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते दिनांक 23/9/25 को पेश हो।

23/1/25 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते दिनांक 18/1/25 को पेश हो।

18/1/25 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते दिनांक 24/2/26 को पेश हो।

3/2/26 वकील उपपक्ष उपरिपक्ष। अपार्थी से
की ओर से श्री विकेश 255 के क्वालरमासा
मय गवाब जपना चर पेश किया
मफल फिलार्ड शा. व. किया गया।
पत्रावली वास्ते वदल दिनांक 9.2.26
को पेश हो।

9/2/26 वकील उपपक्ष उपरिपक्ष। वदल बुर्ग
गर् पत्रावली का अवलोकन किया
गया वद अवलोकन था कि

जमाना- पत्र धारण (स्वीकार) योग्य नहीं पड़े
जोने के कारण श्रवण किण्व जतावे
पत्रावली नम्बर से कम की जायत वा
वकालीन दारिपल दफ्तर हो

(Bhagirath Ram)
अधिवक्ता (राज्य)
जयपुर (जिला-हनुमानगढ़)

1. दि. 20/11/2019 को
2. दि. 20/11/2019 को
3. दि. 20/11/2019 को

1. दि. 20/11/2019 को
2. दि. 20/11/2019 को
3. दि. 20/11/2019 को

1. दि. 20/11/2019 को
2. दि. 20/11/2019 को
3. दि. 20/11/2019 को

1. दि. 20/11/2019 को
2. दि. 20/11/2019 को
3. दि. 20/11/2019 को

1. दि. 20/11/2019 को
2. दि. 20/11/2019 को
3. दि. 20/11/2019 को